

“प्ररूप 6क
(नियम 8ख देखें)

किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन

सेवा में

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,
..... सभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

.....जिला
.....भारत का राज्य

इस खाने के भीतर
पूर्ण मुख को दर्शित
करने वाला (3.5x3.5
से.मी.) का हाल ही में
खींचा गया पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकाने के लिए
स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें नीचे मद 1(ज) में प्रस्तुत विशिष्टियों के अनुसार मेरा निवास स्थान अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए ।

भाग—क

निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

- (क) नाम -----
(ख) मध्य नाम-----
(ग) उप नाम-----
(घ) जन्म की तारीख -----दिन-----मास-----वर्ष
(ङ) लिंग (पुरुष / स्त्री)
(च) जन्म का स्थान-----
(i) ग्राम / नगर-----
(ii) जिला-----
(iii) राज्य -----
(छ) पिता / माता / पति का ब्यौरा
(i) नाम -----
(ii) मध्य नाम-----
(iii) उप नाम-----
(ज) भारत में मामूली तौर पर निवास का स्थान (पासपोर्ट में दिए गए अनुसार पूरा पता)
(i) मकान / गृह संख्या -----
(ii) गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़क -----
(iii) नगर / ग्राम-----
(iv) डाकघर-----
(v) पिन कोड -----
(vi) तहसील / तालुक / मंडल / थाना-----
(vii) जिला -----
(झ) पासपोर्ट का ब्यौरा
(i) पासपोर्ट संख्या -----
(ii) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने का स्थान -----
(iii) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने की तारीख -----
(iv) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के अवसान की तारीख -----

{ ऊपर मद (क) से (झ) में वर्णित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की—यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें। }

- (ज) वर्तमान निवास के देश के वीजा का ब्यौरा—
- (i) वीजा संख्या -----
 - (ii) वीजा का प्रकार (एकल प्रवेश/बहुविध प्रवेश/पर्यटक/कार्य वीजा आदि)-----
 - (iii) वीजा के जारी होने की तारीख -----
 - (iv) वीजा के जारी होने का स्थान -----
 - (v) वीजा के अवसान की तारीख -----
 - (vi) जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम-----

{ ऊपर उल्लिखित वर्तमान विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन को अन्तर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की-यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें। }

2. भारत में मामूली तौर से निवास के स्थान से अनुपस्थिति का वर्णन -----

- (क) भारत में मामूली तौर पर निवास के स्थान से अनुपस्थित होने का कारण- (i) नियोजन / (ii) शिक्षा / (iii) अन्य (विवरण दें)

(ख) वह तारीख जिससे भारत में मामूली तौर पर निवास से अनुपस्थित रहा है ।
----- (दिन/मास/वर्ष)

3. भारत से बाहर के देश का पूर्ण आवासीय पता, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है -----

----- |

4. भारत से बाहर के देश का पूर्ण शासकीय पता जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है (नियोजन या शैक्षणिक संस्था, जहां वह अध्ययन कर रहा है, के स्थान का पता)-----

----- |

5. घोषणा – मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार—

- (क) इस आवेदन में दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है ।
- (ख) मैं जन्म से/अधिवास से/देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूँ।
- (ग) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है ।
- (घ) किन्तु ऊपर 2क में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित होने के कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे ऊपर 1(ज) में उद्धृत किया गया है ।
- (ङ) मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किये जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ।
- (च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के पते में कोई परिवर्तन होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के लिए मैं मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि मेरे निवास पर भेजा गया कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सम्यक् तामील समझी जायेगी, और यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को देता रहूँ ।
- (छ) यदि मैं भारत वापस लौटता हूँ और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूँ, तो मैं संबंधित विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करूंगा ।
- (ज) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(झ) इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में मेरा नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है ।

या

मेरा नाम _____ राज्य के _____ निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकेगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसा भी उपयुक्त हो ।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान) _____
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्यांक (यदि जारी किया गया है) _____
जारी करने की तारीख _____

(ञ) मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है/निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है ।

हस्ताक्षर _____
स्थान _____
तारीख _____

भाग-ख

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में प्रयोग के लिए)

_____ (दिन/मास/वर्ष) को आवेदन प्राप्त हुआ
श्री /श्रीमती/ कुमारी _____ का प्ररूप 6क में आवेदन :-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसके नाम को _____ (निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. _____ में क्रम सं. _____ पर सम्मिलित कर लिया ।

(ख) नामंजूर करने के विस्तृत कारण _____

तारीख _____

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर]

.....छिद्रण.....

भाग-ग

आवेदन की अभिस्वीकृति

(जब व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर को प्रस्तुत किया जाए)

प्ररूप 6क में श्री /श्रीमती/कुमारी _____ पता _____ का
आवेदन प्राप्त हुआ ।

तारीख _____

सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर _____

पता _____" ।

प्ररूप 6क में आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

साधारण अनुदेश

प्ररूप 6क किसके द्वारा भरा जा सकता है

1. विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी विदेश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथाउल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्ररूप 6क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. आवेदक ने वर्ष की 1 जनवरी, को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरणार्थ, यदि निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन 1-1-2011 की अर्हक तारीख के प्रतिनिर्देश से हैं, तो आवेदक द्वारा 1-1-2011 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो।

प्ररूप 6क में आवेदन को कहां प्रस्तुत किया जाए

3. आवेदन को उस निर्वाचन क्षेत्र के, जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिए गए अनुसार आवेदक के मामूली निवास का स्थान आता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर (ईआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्ररूप 6क में आवेदन को ईआरओ को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित ईआरओ के डाक पते पर भेजा जा सकता है।

[भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के ईआरओ की विशिष्टियां और डाक पते भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (<http://eci.nic.in>) पर देखी जा सकती हैं]

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

4. आवेदक के पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला एक हाल ही में खींचा गया आवेदक का पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटो चिपकाएं, जिसकी पृष्ठभूमि हल्के रंग (अधिमानतः सफेद) की हो।

5. प्ररूप 6क के सभी सतंभ भरें। विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिए गए अनुसार अपना नाम और अन्य विशिष्टियां लिखें।

6. यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों और विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन अन्तर्विष्ट करने वाले पृष्ठ की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। **ये फोटो प्रतियां सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित होनी चाहिए।** इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों के बिना भेजे गए आवेदन सीधे नामंजूर किये जाने के दायी होंगे।

7. यदि आवेदन को व्यक्तिगत रूप से ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ ऊपर यथाउल्लिखित पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सत्यापन के तुरन्त पश्चात् पासपोर्ट को लौटा दिया जाएगा।

मतदान

8. यह उल्लेखनीय है कि आप के नामांकन के पश्चात्, आप निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने में उस समय समर्थ होंगे, यदि आप मतदान के दिवस को अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केन्द्र में स्वयं उपस्थित हैं।